उत्तरांचल शासन
अधिसूचना
प्रकीर्ण

27 सितम्बर, 2006 ई0

संख्या 1581 / वि0अनु0–1 / 2006–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तरांचल वित्त आयोग निदेशालय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तरांचल वित्त आयोग निदेशालय सेवा नियमावली, 2006

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल वित्त आयोग निदेशालय सेवा नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति :

2–उत्तरांचल वित्त आयोग निदेशालय एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क", "ख" एवं समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें :

3–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी–

(एक) वरिष्ठ शोध अधिकारी तथा शोध अधिकारी के सम्बन्ध में राज्यपाल अभिप्रेत हैं,

(दो) अन्य पदों के सम्बन्ध में निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तरांचल शासन अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता है;

(ग) 'संविधान' से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(घ) 'सरकार' से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) 'राज्यपाल' से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(च) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो; तथा

(छ) 'भर्ती का वर्ष' से कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा संवर्ग :

4–संवर्ग की सदस्य संख्या–

(1) संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट "क" में दी गई है।

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थापित कर सकेंगे कि जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत :

5–सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) वरिष्ठ शोध अधिकारी–

ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारियों में से, प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो :

परन्तु प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण से भी भरा जा सकेगा।

(ख) शोध अधिकारी–

स्थायी शोध सहायकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने इस रूप में से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो: परन्तु प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण से भी भरा जा सकेगा।

(ग) शोध सहायक–

सीधी भर्ती द्वारा।

(घ) आशुलिपिक–सह–कन्सोल ऑपरेटर–

सीधी भर्ती द्वारा।

(ङ) कार्यालय सहायक–सह–कन्सोल ऑपरेटर–

सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण :

6–उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता :

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या।

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो: परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो: परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा: परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं :

8–सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः–

पद	अर्हता
(एक) वरिष्ठ शोध अधिकारी	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा वेतनमान 8000–13500 या उच्चतर वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
(दो) शोध अधिकारी	1–प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी को अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी विषय से स्नातकोत्तर तथा कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 2–किसी शासकीय या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में वित्त, लेखा या सांख्यिकीय कार्य का 2 वर्ष का अनुभव।
(तीन) शोध सहायक–	सांख्यिकीय/अर्थशास्त्र/गणित में स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी शासकीय या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में वित्त/नियोजन में शोध कार्य का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
(चार) आशुलिपिक–सह–कन्सोल ऑपरेटर	1–स्नातक उपाधि। हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईप का ज्ञान तथा कम्प्यूटर सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/उपाधि एवं न्यूनतम डाटा एन्ट्री की गति 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। 2–किसी शासकीय या सार्वजनिक अधिष्ठान में वित्त/नियोजन सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
(पांच) कार्यालय सहायक–सह–कन्सोल ऑपरेटर	1–इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईप का ज्ञान तथा कम्प्यूटर सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/उपाधि एवं न्यूनतम डाटा एन्ट्री की गति 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। 2–किसी शासकीय या सार्वजनिक अधिष्ठान में वित्त/नियोजन सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

अधिमानी अर्हताएं :

9–अभ्यर्थी जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु :

10. (क) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(ख) शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को उसके द्वारा की गयी शासकीय सेवा की अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

चरित्र :

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार द्वारा या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति :

12–पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थ्यता :

13–किसी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामलें में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण :

14–नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तरांचल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा नियोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :

15–(1) नियुक्ति प्राधिकारी दो दैनिक व्यापक प्रसार वाले समाचार–पत्रों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित करेंगे। भर्ती के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क)	निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अपर निदेशक	अध्यक्ष
(ख)	राजपत्रित अधिकारी, आरक्षित वर्ग से जो श्रेणी "क" से कम न हो	सदस्य
(ग)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के राज्य एकक या अन्य कम्प्यूटर विज्ञान विशेषज्ञ संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	नियोजन विभाग/योजना आयोग से प्रतिनिधि अधिकारी	सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहने की अपेक्षा करेगी।

नोट–प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम आदि प्रक्रिया परिशिष्ट "ख" में दी गई है।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम के सारिणीकरण के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जिन्होंने इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा नियत मानक अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित करेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया :

16–(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम/ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़कर, उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति चयन समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के अधीन गठित समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर लिये जाने की प्रक्रिया :

17–नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैनाती की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची :

18–यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति :

19–मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।

परिवीक्षा :

20–(1) सेवा में किसी स्थायी पद या रिक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि ा को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण :

21—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता :

22—एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति—

(एक) एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

(दो) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान :

23—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाय।

इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय निम्न वेतनमान होंगे :—

(एक) वरिष्ठ शोध अधिकारी	10000—325—15200
(दो) शोध अधिकारी	8000—275—13500
(तीन) शोध सहायक	5500—175—9000
(चार) आशुलिपिक—सह—कन्सोल ऑपरेटर	5000—150—8000
(पांच) कार्यालय सहायक—सह—कन्सोल ऑपरेटर	3050—75—4590

परिवीक्षा अवधि में वेतन :

24—(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसको प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलापों के सम्बंध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

अधियाचन :

25–किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन :

26–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणत लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण :

27–यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति :

28–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–''क'' [देखिए नियम–4 (2)]

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	10000–325–15200	1
2.	शोध अधिकारी	8000–275–13500	2
3.	शोध सहायक	5500–175–9000	3
4.	आशुलिपिक–सह–कन्सोल ऑपरेटर	5000–150–8000	4
5.	कार्यालय सहायक–सह–कन्सोल ऑपरेटर	3050–75–4590	4

परिशिष्ट–"ख"

सीधी भर्ती हेतु परीक्षा

(शोध सहायक, आशुलिपिक–सह–कन्सोल ऑपरेटर, तथा कार्यालय सहायक सह–कन्सोल ऑपरेटर के पद हेतु)

(1) भाग चार के नियम 8 में निर्धारित योग्यता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा। श्रेणी के अनुसार अंक निर्धारित किये जायेंगे।

(2) 40 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा जिसमें कम्प्यूटर संचालन, वर्ड, एक्सल, पावर प्वाइंट, पर कार्य तथा 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की न्यूनतम गति का परीक्षण। कार्यालय सहायक पद हेतु टंकण के लिए 25 अंक दिये जायेंगे।

(3) 25 अंक आशुलेखन एवं टंकण हेतु दिये जायेंगे। आशुलिपिक हेतु आशुलेखन (शॉर्ट हैण्ड) की परीक्षा राजकीय आईटीआई के अनुदेशक (इन्स्ट्रक्टर) द्वारा ली जायेगी जिसे सेवायोजन कार्यालय के आशुलेखन की परीक्षा हेतु नामित किया गया हो।

(4) 15 अंक का साक्षात्कार।

(5) शोध सहायक के चयन हेतु 100 अंक की परीक्षा होगी। इस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, 10 अंक अनुभव के लिए जिसमें पांच वर्ष तक के अनुभव के लिए 5 अंक तथा उसके बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए एक अंक होगा तथा 60 अंक का साक्षात्कार होगा।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1581/XXVII(1)/2006,** dated September 27, 2006 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 27, 2006

No. 1581/XXVII(1)/2006--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Finance Commission Directorate Service.

THE UTTARANCHAL FINANCE COMMISSION DIRECTORATE SERVICE RULES, 2006

PART I--GENERAL

Short title and Commencement :

1--(1) These Rules may be called "The Uttaranchal Finance Commission Directorate Service Rules, 2006".

(2) They shall come into force at once.

Status of Service :

2--The Uttaranchal Finance Commission Directorate Service is a State Service comprising Group "A", "B" and Group "C" posts.

Definitions :

3--In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content--

(a) Appointing Authority means--

(i) The Governor in respect of Senior Research Officer and Research Officer,

(ii) Director, Finance Commission Directorate, Uttaranchal in respect of other posts;

(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) 'Constitution' means the Constitution of India;

(d) 'Government' means the State Government of Uttaranchal;

(e) 'Governor' means the Governor of Uttaranchal;

(f) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules and, if there were not rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(g) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II--CADRE

Cadre of Service :

4--Strength of the Service :

(1) The strength of the Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Goverment from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix "A".

Provided that--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

Source of recruitment :

5--Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :--

(i) Senior Research Officer--

By promotion from amongst the substantially appointed Research Officers who have completed five years service as such:

Provided that if suitable eligible candidate is not available for promotion, the post may be filled by deputation or transfer of service.

(ii) Research Officer--

By promotion, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst the permanent Research Assistants who have completed five years service as such:

Provided that if suitable eligible candidate is not available for promotion the post may be filled by deputation or transfer of services

(iii) Research Assistant--

By Direct Recruitment.

(iv) Steno-cum-Console Operator--

By Direct Recruitment.

(v) Office Assistant--cum--Console Operator--

By Direct Recruitment.

Reservation :

6--Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other Categories belonging to the State of Uttaranchal shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV--QUALIFICATIONS

Nationality :

7--A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be--

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate who belongs to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttaranchal :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note-- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification :

8-- A candidate for recruitment to the various posts in the Service must possess the following qualifications:--

Designation	Qualification
(i) Senior Research Officer	In case of deputation/transfer of service, the candidate must possess Master Degree in Economics, Mathematics or Statistics from any recognized university with minimum three years working experience in the pay scale Rs. 8000-13500 or higher.
(ii) Research Officer	1. In case of deputation/transfer of service, the candidate must possess Master Degree in Economics, Mathematics or Statistics and working experience on computer. 2. Two years working experience of finance, accounts or statistics in any government or public establishment.
(iii) Research Assistant	Master Degree in Statistics, Economics, Mathematics with minimum five year research experience in finance/planning in any government/the field of establishment. Preference will be given to the candidate having experience of working on computer.

Designation	Qualification
(iv) Steno-cum-Console Operator	1. Graduate, having speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and knowledge of Hindi and English typing with degree in computer certificate and speed of data entry minimum 4000 key depressions per hour. 2. Candidates having experience of finance/planning work in any government or public establishment will be given preference.
(v) Office Assistant-cum Console Operator	1. Passed Intermediate examination, knowledge of Hindi and English type writing with certificate/diploma/degree computer certificate and speed of data entry minimum 4000 key depressions per hour. 2. Candidates having experience of finance/planning work in any government or public establishment will be given preference.

Preferential qualifications :

9--A candidate who has--

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years,

or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age :

10. (a) A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1st of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on July 1st if the posts are advertised during the period July 1 to December 31:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

(b) Relaxations in age equal to period of government service shall be given to the candidate in government service.

Character :

11--The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note--Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible

Marital Status :

12--A male candidate who has more than one wives living or a female candidate who has married a man already having, a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness :

13--No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required--

(a) in the case of Gazetted post or Service, to pass an examination by a Medical Board;

(b) in the case of other posts in the Service to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies :

14--The Appointing Authority shall determine and notify to the Employment Exchange, in accordance with the rules and orders for the time being in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backwards classes and other categories belonging to the State of Uttaranchal under Rule 6.

Procedure for direct recruitment :

15--(1) The Appointing Authority shall invite applications in the prescribed form by issuing advertisement in two daily newspapers having wide circulation. For the purpose of recruitment a Selection Committee comprising the following shall be constituted :--

(a)	Director or Additional Director nominated by him	Chairman
(b)	A Schedule Caste Gazetted Officer not below group 'A' post	Member
(c)	An expert from the State Unit of the NIC or a representative of any other institution specialized in computer service	Member
(d)	A Representative of Planning Department/Planning Commission	Member

(2) The Selection Committee shall scrutinise the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination and/or in interview.

Note--The syllabus and procedure for competitive examination is given in Appendix "B".

(3) After the marks obtained by the candidates in the written test have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with Rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Committee in the respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written test.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by aggregate of marks abtained by them in the written test and interview. If two or more candidates obtain equal marks in to aggregate the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies.

Procedure for recruitment by promotion :

16--(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit/seniority, subject to the rejection of unfit, through the Selection Committee constituted under Uttaranchal Constitution of Departmental Promotion Committee (for the Posts outside the Preview of the Public Service Commission) Rules, 2002.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and, if considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Procedure for taking on Deputation/Transfer of service :

17--Posting shall be made as per procedure as may be determined by the Appointing Authority.

Combined select list :

18--If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI--APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment :

19--On the occurrence of substantive vacancies the Appointing Authority shall make appointment by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule, as the case may be.

Probation :

20--(1) A person on appointment to a post or Service in or against the permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date up to which the extension in granted:

Provided that save in exceptional circumstances the period of pro[illegible] shall not be extended beyond one year and in 2nd circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent of higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation :

21--A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(b) he has passed the prescribed departmental examination, if any;

(c) his work and conduct are reported to be satisfactory;

(d) his integrity is certified; and

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority :

22--Except, as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of posts shall be determined from the date of the orders of substantive appointment--

(1) And if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order.

(2) The seniority inter-se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

PART VII--PAY ETC.

Scales of Pay :

23--(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows :--

(i)	Senior Research Officer	10000--325--15200
(ii)	Research Officer	8000--275--13500
(iii)	Research Assistant	5500--175--9000
(iv)	Steno-cum-Consol Operator	5000--150--8000
(v)	Office Assistant-cum-Consol Operator	3050--75--4590

Pay during Probation :

24--(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII--OTHER PROVISIONS

Canvassing :

25--No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be take into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters :

26--In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service:

27--Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings :

28--Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued for time to time in this regard.

Appendix--"A" [Please refer to Rule--4(2)]

Sl.No.	Designation	Pay scale	No. of Post
1	2	3	4
1.	Senior Research Officer	10000--325--15200	1
2.	Research Officer	8000--275--13500	2
3.	Research Assistant	5500--175--9000	3
4.	Steno-cum-Console Operator	5000--150--8000	4
5.	Office Assistant-cum-Console Operator	3050--75--4590	4

Appendix--"B"

Examination for Direct Recruitment

(to the post of Research Assistant, Steno-cum-Console Operator and Office Assistant-cum-Console Operator)

(1) Attested photo copy of prescribed qualification as given in rule 8 of part IV. Candidate shall be accorded 20 per cent marks against marks acquired in prescribed minimum qualifying examination for the post. Marks shall be prescribed as per category.

(2) 40 marks shall be accorded for practical examination which comprises computer operation, work on word, excel, on power point and test of speed 4000 key depressions per hour. 25 marks shall be accorded for typing test for the post of Office Assistant.

(3) 25 marks shall be accorded for Stenography and typing test. Short hand test for steno typist shall be taken by an instructor of Government polytechnic nominated for stenography test of Employment Exchange.

(4) Interview for 15 marks.

(5) The marks test for the post of Research Assistant shall carry 100 marks. Every candidate will be accorded 30 per cent marks against marks obtained by him in the prescribed minimum qualifying examination. 10 marks will be given for work experience out of which 5 marks will be accorded for the work experience upto five years and 1 mark will be given against each succeeding year, and on an interview shall be held for 60 marks.

By Order,

INDU KUMAR PANDE,
Principal Secretary, Finance.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 07–10–2006, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 वित्त/515–26–10–2006–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।